श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय मैंने आपको एक पत्र लिखा है। प्रेसीडेंट साहब ने जो प्रेस कम्यूनिके निकाला है, मैंने उसका हवाला दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन धारिया ने भी उसी सबजेक्ट पर मुझे लिख कर भेजा है, जो आप ने लिखा है

He met me. I have told him I am inviting the Minister's comment on it. When it comes, I will be able to say.

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय, श्री इन्द्र कुमार गुजराल, यहां सामने बैठे हैं। वह एक मिनट में खुलासा कर सकते हैं। इसमें लम्बे-चौड़े खुलासे की क्या बात है? जब प्रेसिडेंट ने श्री मोहन धारिया का इस्तीफा स्वीकार किया, तो यह क्यों कहा गया कि उन को हटाया गया है? अगर उनको हटाया गया है, तो प्रेसिडेंट का कम्यूनिके भी वैसे ही होना चाहिए था। क्या इस में किसी लम्बे-चौड़े स्पष्टीकरण की आवश्यकता है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): मंत्री महोदय माफी मांग कर छूट सकते हैं।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Your ruling has been challenged. Only one who has resigned can make a statement under rule 199. That is why I have given notice of a privilege motion.

SHRI MADHU LIMAYE: The President has not dismissed him. He has accepted his resignation.

तो फिर आल-इंडिया रेडियो से क्यों कहा कि उनको हटाया गया? अध्यक्ष महोदय, यह एक कुमराल बन लिमों बहुत धनमानी कर रहे हैं। इनको अब तक सीधा नहीं किया जायेगा, कुछ नहीं होगा।

12.10 hrs.

TRUST LAWS (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): On behalf of Shri C. Subramaniam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Trusts Act, 1882 and the Unit Trust of India Act, 1963.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Trusts Act, 1882 and the Unit Trust of India Act, 1963."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: I introduce† the Bill.

12.10½ hrs.

STATEMENT RE. TRUST LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): On behalf of Shri C. Subramaniam, I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Trust Laws

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 10-3-75.

†Introduced with the recommendation of the President.

[Shri Pranab Kumar Mukherjee].
(Amendment) Ordinance, 1975, as required under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

12.11 hrs.

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): On behalf of Shri C. Subramaniam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: I introduce† the Bill.

अध्यक्ष महोदय : पं० कमलापति त्रिपाठी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय, आप ने गृह मंत्री जी से कहा था कि बारपेटा चुनाव के उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बारे मे बयान देंगे....

अध्यक्ष महोदय : वह आयेंगे तो बतला दूंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कब आयेंगे ? अभी वहां दो कांग्रेस कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किये गये हैं ....

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जहां ये लोग हार जाते हैं वहां इसी तरह से हल्ला करते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गृह मंत्री जी कब बयान देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : जब वह आयेंगे, तब बतला दूंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन को कहिये कि वे जल्दी बयान दे । हम पंडित जी के भाषण मे रुकावट नही डालना चाहते हैं, उन की गंगा-धारा बहेगी और हम उस में बहेंगे ।

12.13 hrs.

RAILWAY BUDGET, 1975-76—GENERAL DISCUSSION—contd.

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, आप ने जो मुझ यह अवसर दिया कि रेल बजट पर तीन दिन तक जो बहस होती रही है, उसके संबंध में अपने विचार प्रकट करूं ।

मान्यवर, इस बजट पर माननीय सदस्यों ने बड़ी रुचि दिखलाई है, बड़ी दिलचस्पी दिखलाई है, इस लिये आप के साथ

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 10-3-75.

†Introduced with the recommendation of the President.